

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-7/2017/

दिनांक:

—:आदेश:—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं एफ.14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 13 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बन्ड/ च. वेतनमान	देय पें ग्रेड
1.	रावताराम जागिड़, नर्स प्रथम	बाड़मेर	14.06.89	14.06.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
2.	सांवलाराम चौधरी, नर्स प्रथम	बाड़मेर	03.06.89	03.06.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
3.	रामलाल गोदारा, नर्स प्रथम	बाड़मेर	13.06.89	13.06.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
4.	सुजानाराम विश्णोई, नर्स प्रथम	बाड़मेर	13.06.89	13.06.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
5.	सुमनरानी, नर्स प्रथम	अजमेर	09.02.90	09.02.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
6.	लेखराज सैनी, नर्स प्रथम	अलवर	13.09.89	13.09.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
7.	लवीना सुभाष, नर्स प्रथम	बांसवाड़ा	06.11.89	06.11.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
8.	सुरेश चन्द वर्मा, नर्स प्रथम	जयपुर	29.04.99	29.04.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
9.	महेन्द्र सिंह शक्तावत, नर्स प्रथम	प्रतापगढ़	12.05.87	12.05.14 27 वर्ष	15600-39100	6000
10.	अशोक कुमार, नर्स प्रथम	भरतपुर	25.09.89	25.09.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
11.	अमीन खान, नर्स प्रथम	उदयपुर	03.08.88	03.08.15 27 वर्ष	15600-39100	6000
12.	जगदीश चन्द्र गुप्ता, नर्स प्रथम	चित्तौड़गढ़	21.07.89	21.07.16 27 वर्ष	15600-39100	6000

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही भूख्य होगा।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 04-08-2017

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-7/2017/410

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर/सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर/एमबीएच उदयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर/अलवर/बांसवाड़ा/प्रतापगढ़।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, धोरीमन्ना बाड़मेर/कपासन, चित्तौड़गढ़/राजगढ़, अलवर/भरतपुर, बांसवाड़ा।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश की प्रति आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर